22. *Mizoram*

1. Aizwal
2. Lunglez

23. *Dadra & Nagar Haveli*

1. Dadra & Nagar Haveli

TOTAL NUMBER OF "NO INDUSTRY DISTRICTS" - 93

Setting up of ancillary industries of Maruti Udyog Ltd. in Uttar Pradesh

752. KUMARI ALIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to set up ancillary industries of the Maruti Udyog Ltd. in Uttar Pradesh;

(b) if so, what are the places selected for this purpose;

(c) whether any site has been located in Faizabad district in Uttar Pradesh, and if so, what are the details thereof; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) Presently there is no such proposal under consideration.

(b) to (d) Do not arise.

आयुर्वेदिक और चिकित्सा कालेजों में शल्य प्रशिक्षण का भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा विरोध

753. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अप्रैल, 1990 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "आई०एम०सी० हैज नो राइट टु अपोज फैसिलिटीज" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने कुछ राज्यों में आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक कॉलेजों में आधुनिक शल्य प्रशिक्षण बंद करने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के इस प्रशिक्षण विरोधी रवैये के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार चिकित्सा पद्धति के सुधार एवं विकास के मार्ग में आए इस अवरोध को दूर करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक कालेजों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्रमशः केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् और भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा विनियमित किए जाते है। सामान्यतः इस मंत्रालय की ऐसे मामलों में कोई भूमिका नहीं होती। भारतीय चिकित्सा परिषद् ने सूचित किया है कि भारतीय चिकित्सा संघ, केरल राज्य शाखा ने यह बात उनके ध्यान में लाई थी कि केरल राज्य सरकार ने आयुर्वेद और होम्योपैथी के अध्यापकों के लिए एम०एस० (शल्य चिकित्सा) की सीटों के आरक्षण के आदेश जारी किए थे।

भारतीय चिकित्सा परिषद् ने यह भी बताया है कि यह बात आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति को अन्य चिकित्सा पद्धतियों में मिलाने के विरूद्ध थी। इस परिषद् ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के बारे में अपनी अनिवार्य सिफारिशों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में किसी आरक्षण को निर्धारित नहीं किया था। अतः इस परिषद् ने राज्य सरकार से विभिन्न चिकित्सा